भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

एफ सं. सी-6/2011-एमपीलैड्स-(भाग-II)

Dated ..... 13.10.2015 .....

सेवा में

1. आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मैजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता- स्पष्टीकरण संबंधी ।

महोदय/महोदया,

1. इस मंत्रालय में एमपीलैड्स निधियों से **शैक्षणिक संस्थानों** को **वित्तीय सहायता** संबंधी प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगने संबंधी संदर्भ प्राप्त हुए हैं ।

2. शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में **वर्तमान** प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से हैः-

3.37 सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करनाः सांसद उन सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं और स्कूलों के मामले में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा कॉलेजों के मामले में राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और छात्रों से वाणिज्यिक शूल्क बसूल नहीं कर रहे हैं । ऐसी सहायता प्राप्त संस्थाओं को एमपीलैड्स योजना के तहत अनुमत्य सभी कार्यकलापों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने की अनुमति होगी ।

3.37.1 स्कूलों के मामले में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त तथा कॉलेजों के मामले में राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं जो न्यास/सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही हैं एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यासों/सोसाइटियों के लिए निर्धारित की गई अधिकतम सीमा के अंतर्गत शामिल की जाएंगी।

3. **आज की स्थिति के अनुसार** इन पैराओं का **सार** निम्नानुसार हैः-

(i) पैरा 3.37:

(क) **सहायता प्राप्त** शैक्षणिक संस्थान **जो** राज्य सरकारों से **सहायता प्राप्त कर रहे हैं** **और** किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से **मान्यता** प्राप्त हैं **और** छात्रों से वाणिज्यिक शुल्क वसूल नहीं कर रहे हैं दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य सभी मदों के लिए **बिना किसी अधिकतम सीमा के** एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के **पात्र** हैं ।

(ख) **गैर-सरकारी न्यासों/सोसाइटियों** द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को पैरा 3.37 के अंतर्गत शामिल **नहीं** किया गया है ।

(ii) पैरा 3.37.1:

(क) पैरा 3.37.1: गैर-सरकारी न्यासों/सोसाइटियों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों, द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है ।

(ख) **सहायता प्राप्त** और **गैर-सहायता** प्राप्त शैक्षणिक संस्थान **जो** किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं **और** न्यासों/सोसाइटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं; संबंधित शैक्षणिक संस्थान का संचालन करने वाले न्यास/सोसाइटी विशेष पर दिशानिर्देशों **(पैरा 3.21)** के तहत न्यासों/सोसाइटियां पर लगाई गई अधिकतम सीमा की शर्त लागू होगी । [जो कि **एक न्यास/सोसाइटी विशेष** के लिए इसके **जीवन-काल** में **50 लाख रु.** है (यह भी कि एक माननीय सांसद एक वित्तीय वर्ष के दौरान **सभी** न्यासों/सोसाइटियों को मिलाकर केवल 1 करोड़ रु. तक की सिफारिश कर सकता है)]

4. इसे मंत्रालय की आंतरिक वित्त शाखा के साथ परामर्श और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, नोडल विभाग, एमपीलैड्स से संबंधित, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।